न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 09/2016 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. किशनलाल पुत्र भोन्दूराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... प्रतिवादी/अपीलांट

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र भोन्दूराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोदामेव,
2. सुन्दरलाल पुत्र भोन्दूराम जाति कुम्हार निवासी बड़ोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

.....वादीगण/ रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री ब्रजराजसिंह नरूका अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–09.11.2017

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा तकसीम एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0 नं0 हाल 251/168 रकबा 0.100, 254/169 रकबा 0.9100 है0 वाके तन खेड़ला बड़ोदामेव तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जिसमें वादीगण प्रतयेक को 1/9–1/9 भाग अलग से तकसीम किया जाकर अलग से लगान व खाताबन्दी कायम कर तकसीम शुदा आराजी पर वादीगण को अलग से दखल दिलावाया जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया । विद्वान तहत न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 30.11.2015 को गैर सायलान को ताफैसला दावा पाबन्द कर दिया जिस निर्णय दि0 30.11.2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

9.11.17

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

प्रस्तुत अपील पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण को सुना गया । अपीलांट अभिभाषक का कथन है कि इस अपील में मूल वाद का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय से तय हो गया है । इसलिए यह अपील अब चलने योग्य नहीं होने से यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण को सुना और तहत न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने वक्त बहस जाहिर किया कि तहत न्यायालय द्वारा मूल वाद का निस्तारण कर दिया गया है । वर्तमान में इस अपील को चलाने का कोई औचित्य नहीं है । इसलिए जब मूल वाद का ही निस्तारण हो चुका है तो वर्तमान स्तर पर अब अपील चलाने का कोई उचित कारण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ का निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9.11.17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर